



JALAUN POLICE

दिनांक – 30.03.2026

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा गौवंशीय पशुओं के वध जैसे अपराध में संलिप्त 02 अभियुक्तगण पर रा.सु.का (N.S.A.) की कार्यवाही की गयी ।

कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा एक सुनियोजित आपराधिक षडयंत्र के तहत अभियुक्तगण 1. कल्ला उर्फ जावेद पुत्र लियाकत उम्र 45 वर्ष नि0 मु0 आराजी लैन थाना कोंच जनपद जालौन 1. असगर उर्फ अगस पुत्र मूसा उम्र 46 वर्ष नि0 मु0 आराजी लैन थाना कोंच जनपद जालौन द्वारा दिनांक 11.01.2026 को ग्राम कुदरा बुजुर्ग कोतवाली कोंच जनपद जालौन के पास प्रतिबंधित पशु(गौवंश) का वध कर मांस की तस्करी की जा रही थी । इस जघन्य कृत्य से स्थानीय जनता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं और क्षेत्र में भारी तनाव एवं सांप्रदायिक दंगा होने की प्रबल स्थिति उत्पन्न हो गई थी । कोतवाली कोंच पुलिस द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, किंतु इसके बाहर आने पर पुनः शांति व्यवस्था भंग होने और समान अपराध दोहराने की पूरी संभावना थी ।

अतः जिलाधिकारी महोदय जालौन द्वारा पुलिस आख्या और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की स्वीकृति प्रदान की गयी । जिलाधिकारी महोदय जालौन की स्वीकृति व श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जालौन के निर्देशन में कोतवाली कोंच से अभियुक्तगण 1. कल्ला उर्फ जावेद पुत्र लियाकत उम्र 45 वर्ष नि0 मु0 आराजी लैन थाना कोंच जनपद जालौन 2. असगर उर्फ अगस पुत्र मूसा उम्र 46 वर्ष नि0 मु0 आराजी लैन थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी । **अभियुक्तगण वर्तमान में जिला कारागार उरई में निरूद्ध हैं । अभियुक्तगण जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत थे । N.S.A.अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्तगण को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरूद्ध किये जाने हेतु निरूद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया ।**

क्षेत्र की लोक व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु उपरोक्त 02 अभियुक्तगण के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के अन्तर्गत निरूद्धीकरण की कार्यवाही की गयी । उक्त कार्यवाही से जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के बीच कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है ।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. कल्ला उर्फ जावेद पुत्र लियाकत उम्र 45 वर्ष नि0 मु0 आराजी लैन थाना कोंच जनपद जालौन
2. असगर उर्फ अगस पुत्र मूसा उम्र 46 वर्ष नि0 मु0 आराजी लैन थाना कोंच जनपद जालौन

अधियुक्त कल्ला उर्फ जावेद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 006/2026 धारा 3/5/8 गौवध अधि0
2. मु0अ0सं0 07/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट
3. मु0अ0सं0 04/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
4. मु0अ0सं0 293/23 धारा 307 भादवि पुलिस मुठभेड व 34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 5ए/8 गौवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0
5. मु0अ0सं0 570/16 धारा 3/5/8 गौवध अधि0
6. मु0अ0सं0 316/16 धारा 3/25 आर्म्स अधि0
7. मु0अ0सं0 315/16 धारा 379/411 भादवि
8. मु0अ0सं0 281/16 धारा 379/411 भादवि
9. मु0अ0सं0 117/16 धारा 4/25 आर्म्स अधि0
10. मु0अ0सं0 59/16 धारा 379 भादवि
11. मु0अ0सं0 637/15 धारा 4/25 आर्म्स अधि0
12. मु0अ0सं0 636/15 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0
13. मु0अ0सं0 12/12 धारा 3/5/8 गौवध अधि0
14. मु0अ0सं0 124/12 धारा 8 गौवध अधि0 व 11(F)/11(D) पशु क्रूरता अधि0
15. मु0अ0सं0 959/08 धारा 147/148/149/307 IPC
16. मु0अ0सं0 960/08 धारा 3/25 आर्म्स अधि0
17. मु0अ0सं0 1017/08 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
18. मु0अ0सं0 263/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

अधियुक्त असगर उर्फ अगस का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 006/2026 धारा 3/5/8 गौवध अधि0
2. मु0अ0सं0 07/2026 धारा 3(5)/109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट
3. मु0अ0सं0 210/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट
4. मु0अ0सं0 124/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि0
5. मु0अ0सं0 30/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
6. मु0अ0सं0 28/21 धारा 399/401 भादवि
7. मु0अ0सं0 197/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
8. मु0अ0सं0 379/2017 धारा 401 भादवि

जालौन पुलिस द्वारा वर्ष 2024 से अब तक गोवंश की तस्करी करने वाले कुल 10 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए की कार्यवाही करवायी गयी है।

जालौन पुलिस भविष्य में भी इसी तरह के संगीन अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है।